THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) No.

(b) Does not arise.

Foreign exchange earning due to export of Coaches, Bogies and Spares

910. SHRI K. MALLANNA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Indian Railways are now in a better position to export coaches, bogies and spares to foreign countries; and

(b) if so, the salient features regarding the earning of foreign exchange during the current year alongwith the names of the countries to which exports have been made?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI BUTA SINGH): (a) Yes.

(b) During the current year the Indian Railways are executing an export order for supply of 17 coaches to Tanzania. Approximately Rs. 1.85 crores in foreign exchange is likely to be earned as a result of this export order.

पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर-सोनपुर रेलवे लाइन को बाडगेज लाइन में बदलना

911. श्री विभूति मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में मुजफ्फरपुर से सोनपुर तक मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मोतीहारी और सगौली होते हुए मुजफ्फरपुर से रक्सौल तक बड़ी लाइन ले जाने का है ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां ।

(ख) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है ।

मई, 1974 की हड़ताल के वफादार रेल कर्मचारियों के लड़के लड़कियों की नियुक्ति

912. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन रेल कर्मचारियों के लड़के लड़कियों को, जिन्होंने मई 1974 की हड़ताल में भाग नहीं लिया था, वफादार होने के इनाम स्वरूप रेलवे में नौकरियां देना अब भी जारी है ;

(ख) इस प्रकार नौकरी पाने वालों की रेल-वार और डिवीजन-वार संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) ऐसी नौकरियां पाने वालों में आदिवासी, हरिजनों, मुसलमानों तथा कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है और सरकार का विचार इस नीति को कब तक जारी रखने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) से (ग): संख्या सभा पटल पर रखे गये विवरण में बतायी गयी हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या LT 11129/76] इस योजना को 1-1-1976 से वापस ले लिया गया है । लेकिन 31-12-1975 तक प्राप्त आवेदनों के सम्बन्ध में औपचारिकताएं पूरी करने और नियुक्तियों के आदेश जारी करने के लिए रेल प्रशासनों को 30-9-1976 तक का समय दिया गया है ।